फर्द अहकाम

अज अदालत—**न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर**

दिनेश चन्द शर्मा बनाम उपखण्ड अधिकारी,डीग

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 27 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09.03.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट दिनेश चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जनूथर तहसील डीग जिला भरतपुर की अपील उपखण्ड अधिकारी, डीग के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीग से दिनांक 09.10.2020 को सूचना चाही गई थी किन्तु उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाने पर दिनांक 12.12.2020 को इस कार्यालय में प्रथम अपील की गई, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है । पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीग के विरूद्ध उक्त सूचना न मिलने पर इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, जो दायरा रजिस्टर के क्रमांक 100/2020 पर दर्ज की जाकर अपील का दिनांक 15.01.2021 को निर्णय किया गया है । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय की प्रति इस कार्यालय के क्रमांक 66—67 दिनांक 19.01.2021 से अपीलान्ट को भेजी गई है। एक ही प्रकरण में एक से अधिक बार निर्णय नहीं किया जा सकता । अपील अपीलान्ट खरिज की जाती है । पूर्व निर्णय दिनांक 15.01.2021 की प्रति अपीलान्ट को पुनः भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा0द0 हो । जिला कलक्टर भरतपुर (राज०	252 17/3/21